उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–10
संख्या– 127 / एक–10–2017–14(23) / 2004
लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या–2225 / 1–10–2017–14(23) / 2004, दिनांक: 22.12.2017 द्वारा अर्द्धकुम्भ मेला–2019 के दौरान किसी आपदा से बचाव की स्थिति में बचाव उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था के लिये गृह विभाग को रू0 35,60,00,000/- (रूपये पैंतीस करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 में उल्लिखित लेखाशीर्षक टंकण त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' अंकित हो गया है। उक्त लेखाशीर्षक को निम्नवत् पढ़ा जाय:–

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय''

3– शासनादेश संख्या–2225 / 1–10–2017–14(23) / 2004, दिनांक: 22.12.2017 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 127 /1-10-2017-14(23)/2004

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन
3- पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
6- राहत आयुक्त कार्यालय को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु ।
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
8- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गृह (पुलिस) अनुभाग-2/7
10- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
उप सचिव।

U.O. LETTER 2017//137

Scanned by CamScanner

संख्या- 2025/1-10-2017-14(23)/2004

प्रेषक,

संजय कुमार,
विशेष सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ :: दिनांक :: 22 दिसम्बर, 2017

विषय- अर्द्धकुम्भ मेला-2019 के दौरान किसी आपदा की स्थिति में बचाव उपकरणों इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिये जलपुलिस, फायर सर्विस, वायरलेस, रेडियो संचार, यातायात व्यवस्था के उपयोगार्थ उपकरण क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्धकुम्भ मेला-2019 के दौरान किसी आपदा की स्थिति में बचाव उपकरणों इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिये जलपुलिस, फायर सर्विस, वायरलेस, रेडियो संचार, यातायात व्यवस्था के उपयोगार्थ उपकरण क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 35,60,00,000/- (रूपये पैंतीस करोड़ साठ लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा निम्न विवरण के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क– जल पुलिस के उपयोगार्थ उपकरण क्रय किये जाने हेतु–	रू0 8,75,30,000 करोड़
ख– फायर सर्विस के उपयोगार्थ उपकरण क्रय किये जाने हेतु–	रू0 3,34,50,000 करोड़
ग– वायरलेस/रेडियो संचार के उपयोगार्थ उपकरण क्रय किये जाने हेतु–	रू0 18,00,00,000 करोड़
घ– यातायात व्यवस्था के उपयोगार्थ उपकरण क्रय किये जाने हेतु–	रू0 5,50,00,000 करोड़
योग	35,59,80,000 करोड़
	(रू0 35.60 करोड़)

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- जो भी उपकरण क्रय किये जायेगें उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुँचाने के उददेश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उयम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट

Scanned by CamScanner

मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेगें। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए०एम०सी०/सी०एम०सी० भी करायी जायेंगी।

4- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

5- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापित न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह विभाग, उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

6- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(संजय कुमार)
विशेष सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-2025 (1)/1-10-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद ।
2- पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
7- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गृह (पुलिस) अनुभाग-2
9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner